N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0153 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/06/2025 14:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराऐं)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 20/03/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:20 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/06/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/06/2025 14:53:19 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 65 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** GRAM BANKALSAR JILA JAISALMER

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** MUKESH KUMAR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** MAHADAN SINGH

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	3 MD BANKALSAR MOHANGARH, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	3 MD BANKALSAR MOHANGARH, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KHET SINGH		पिता:NAG SINGH	1. 2 M.D. MOHANGARH,JAISALMER,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर विषय- रिश्वत की मांग करने वाले मेट के विरूद्ध कार्यवाही करवाने की बावत में महोदय जी उपरोक्त विषयअन्तर्गत निवेदन है कि मेरी पत्नी गुडी देवी वह मेरा जोब कार्ड मनरेगा योजना के अन्तर्गत चालु पखवाडे में जोब कार्ड चल रहा है। तथा पूर्व में भी हमारे द्वारा मनरेगा योजना में काम किया है। उपरोक्त कार्य पर योजना में होने वाला भुगतान की हाजरी ऑनलाइन चढाने वह भुगतान जारी करवाने के लिए मनरेगा राशि में 50 यानि आधी राशि की रिश्वत के रूप में मांग कर रहा है पूर्व में मेरे पिताजी महादान सिंह वह मेरी माताजी धापु कंवर के नाम से जारी मनरेगा भुगतान पर भी बार-बार फोन कर पैसे की मांग कर रहा है। मै मेरी मनरेगा की मजदुरी मे से मेट खेतसिंह को रिश्वत के रूप में कोई राशि नहीं देना चाहता हॅु ओर मेट खेतसिंह द्वारा रिश्वत के रूप में मांग की जा रही 5000 रूपेय की राशि देते हुए उसे रगे हाथों गिरफतार करवाना चाहता हू, श्री खेतसिंह से मेरा कोई पुराना लेन-देन बकाया नहीं है। और नही उनसे मेरी कोई दुश्मनी या रंजीस नहीं है। कृप्या कार्यवाई करावें। -एसडी- 27/02/2025 मुकेश कुमार- महादानसिंह 3 एमडी बांकरलसर मोहनगढ [redacted] कार्यवाही पुलिस दि0 27.02.25 समय 1.30 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश कुमार/ महादानसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 24 वर्ष निवासी 3 एमडी बांकलसर, मोहनगढ, जिला जैसलमेर कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर दरियाफत कर बताया कि ग्राम बांकलसर का मेट श्री खेतसिंह मनरेगा योजना में मेरे द्वारा की गई मजदूरी कर ऑनलाईन हाजरी चढाने एवं भुगतान जारी करने की एवज में 5000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। साथ ही बताया कि पूर्व में मेरे पिताजी श्री महादान सिंह व माताजी श्रीमति धापूकंवर के नाम से जारी मनरेगा भुगतान पर भी बार-बार फोन कर मेरे से रिश्वत की मांग कर रहा है। परिवादी ने संदिग्ध आरोपी से किसी प्रकार की रंजिश व पुराना लेन देन नहीं होना बताया परिवादी की उक्त रिपोर्ट एवं दरीयाफत से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से आईन्दा स्थिति राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात श्री भंवरलाल कानि 309 को कार्यालय कक्ष में तलब कर हाजिर परिवादी श्री मुकेश कुमार से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। कार्यालय हाजा के मालखाना से कार्यालय हाजा का डिजिटल वाइस रिकार्डर मालखाना प्रभारी श्री दीनाराम हैड कानि0 03 से मंगवाया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर खाली होना सुनिष्चित कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने व बंद करने कि विधि से परिवादी श्री मुकेश कुमार को समझाईश की गई। ताबाद परिवादी श्री मुकेश कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेट श्री खेतसिंह अपने निजि कार्य से ग्राम बांकलसर से बाहर गया हुआ है, जो करीब दिनांक 19, 20 मार्च 2025 को वापिस गांव आयेगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत की गई कि जब भी संदिग्घ आरोपी पुनः बांकलसर उपस्थित आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या श्री भंवरलाल कानि 309 को सूचित करें। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी व आरोपी के मध्य आईन्दा रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर निर्णय लिया जाकर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर रहबरी हासिल की गयी। दिनांक 20.03.2025 को परिवादी श्री मुकेशकुमार ने अपने मोबाईल नम्बर से श्री भवरलाल कानि0 के मोबाईल नम्बर पर वाट्सएप काल कर श्री भवरलाल कानि0 को बताया कि मेट श्री खेतसिंह ग्राम बांकलसर में आ गया है तथा आज श्री खेतसिंह मेरे घर पर पैसे लेने के लिये आयेगा और आज मांग सत्यापन की वार्ता की कार्यवाही होने की पूर्ण सम्भावना है। जिस पर दिनांक 20.03.2025 को वक्त 3.00 पीएम पर श्री भवरलाल कानि0 को मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर के आरोपी श्री खेतसिह व परिवादी श्री मुकेशकुमार के मध्य रिश्वत राशिं मांग सत्यापन करवाने हेतु बाकलसर मोहनगढ के लिये रवाना किया गया। दिनांक 20.03.2025 को वक्त 06.37 पीएम पर श्री भंवरलाल कानि 309 ने जरिये फोन मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बाताया कि मै निर्देशानुसार दिनांक 20.03.2025 को वक्त 03.00 पर मय डिजीटल वाईस रिकार्डर के कार्यालय से रवाना होकर चौधरी चौराहा मोहनगढ पहुचा जहां पर परिवादी श्री मुकेश कुमार चौराहे पर उपस्थित मिला जिसे साथ लेकर मोहनगढ से रवाना होकर ग्राम बांकलसर पहुचे। तत्पश्चात मन् कानि ने कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर मेट श्री खेतसिंह से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु रवाना किया गया। मन् कानि वहीं आस-पास अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री मुकेश कुमार मन् कानि के पास उपस्थित आया जिससे कार्यालय डिजीटल वाईस रिकार्डर स्वीच ऑफ कर मन् कानि के पास सुरक्षित रखा

। परिवादी श्री मुकेश कुमार ने बताया कि मेट श्री खेतसिंह से रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता हुई जो इस रिकार्डर में है तथा मेट श्री खेतसिंह ने मुझ से मेरे पिता जी श्री महादानसिंह व मेरी माता जी धापू देवी के मनरेगा में कार्य के भुगतान के पेटे बकाया 4200 रूपये की मांग की जिस पर मेरे पास रोकड पैसे नहीं होने पर मेट श्री खेतसिंह के बताये अनुसार फोन पे नम्बर [redacted] पर 1000 रूपये ऑनलाईन ट्रांसफर किये है। साथ ही परिवादी ने बताया है कि उक्त रिश्वती राशि के अतिरिक्त मेरी पत्नी गुडडी देवी व मेरे नाम से मनरेगा में हाजरी ऑनलाईन चढाने तथा उसके पेटे आने वाले मनरेगा भुगतान करीबन 20000/- के पेटे 11000/- और रिश्वत देने की मांग कर रहा है। परिवादी श्री मुकेश कुमार ने यह भी बताया कि मेट श्री खेतसिंह को किसी प्रकार का मुझ पर शक हो गया है, मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्री खेतसिंह ने मेरी तलाशी भी ली है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि भंवरलाल को निर्देशित किया गया कि परिवादी श्री मुकेश कुमार को रिश्वती राशि व्यवस्था कर तथा परिवादी द्वारा आरोपी के खाते में ऑनलाईन ट्रान्सफर की गई राशि के मोबाईल के स्क्रिनशॉट की कॉपी लेकर अविलम्ब कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित कर परिवादी को वहीं पर रूखसत कर आप कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। जिस पर श्री भवरलाल कानि0 दिनांक 20.03.2025 को वक्त 11.30 पीएम कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकाय से जैसलमेर से बाहर होने से कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में कानि0 द्वारा कार्यालय में अलमारी में सुरक्षितं रखा गया था। दिनांक 21.03.2025 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकार्य से कार्यालय मे उपस्थित आने पर श्री भंवरलाल कानि 309 द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर स्वीच ऑफ सुदा हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि मै निर्देशानुसार बांकलसर से रवाना होकर दिनांक 20.03.2025 को वक्त 11.30 पीएम कार्यालय में उपस्थित हो गया था, तथा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में कार्यालय में अलमारी में सुरक्षितं रखा गया था, जो आपको सुपुर्द किया है। साथ ही कानि ने उपरोक्त वर्णित तथ्य बताये गये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री खेतसिंह द्वारा परिवादी श्री मुकेश कुमार से उनके पिता जी श्री महादानसिंह व माता जी धापू देवी के मनरेगा में कार्य के भुगतान के पेटे बकाया 4200 रूपये की मांग करना व जिस पर परिवादी से मेट श्री खेतसिंह द्वारा 1000 रूपये ऑनलाईन प्राप्त करने की पुष्टि हुई है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आईन्दा परिवादी के कार्यालय पर उपस्थित आने पर उक्त रिकार्डिग की ट्रांन्सस्क्रिप्ट बनाने व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 25.03.2025 को वक्त 3.45 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार कार्यालय में उपस्थित आया व एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय श्री खेतसिंह के फोन पे नम्बर पर भेजे गये 1000 रूपये के मोबाईल स्क्रिनशॅाट की प्रति मय ऑनलाईन हाजरी चढाने की स्क्रिनशॉट की प्रति व वाट्सएप चैट की प्रतियां पेश कर बताया कि दिनांक 20.03.2025 मेरे व खेतसिंह के मध्य मेरे कार्य से संबंधित रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हुई थी वार्ता के दौरान मेट श्री खेतसिंह ने मुझ से मेरे पिता जी श्री महादानसिंह व मेरी माता जी धापू देवी के मनरेगा में कार्य के भुगतान के पेटे बकाया 4200 रूपये की मांग की थी जिसमे से उसी रोज मैने मेट श्री खेतसिंह के बताये अनुसार फोन पे नम्बर [redacted] पर 1000 रूपये ऑनलाईन ट्रांसफर किये थे। साथ ही उक्त रिश्वती राशि के अतिरिक्त मेरी पत्नी गुडडी देवी व मेरे नाम से मनरेगा में हाजरी ऑनलाईन चढाने तथा उसके पेटे आने वाले मनरेगा भुगतान करीबन 20000/- के पेटे 11000/- और रिश्वत देने की मांग की थी उक्त वार्ता कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है। रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान मेट श्री खेतसिंह को किसी प्रकार का मुझ पर शक हो गया था जिसके कारण श्री खेतसिंह ने मेरी उसी समय तलाशी भी ली थी। परिवादी ने बताया कि अब मेट श्री खेतसिंह द्वारा उपरोक्तानुसार मांग की गई रिश्वती राशि मेरे से प्राप्त नहीं करेगा। जिस पर परिवादी द्वारा पेश उक्त रिपोर्ट मय स्क्रिनशॉट की प्रति शामिल रनिंग नोट की गई। परिवादी श्री मुकेश कुमार द्वारा पेश उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट एवं दरियाफत से आरोपी मेट श्री खेतसिंह को परिवादी पर किसी प्रकार का शक हो जाने के कारण आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सम्भावना नहीं है, इसलिये अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 20.03.2025 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की ट्रान्सस्क्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय सयंक्त निदेशक पशुपालन विभाग जैसलमेर के नाम पत्र क्रमाक 484 दिनांक 25.03.2025 जारी कर श्री कंवराजंसह कानि0 444 को गवाहान लाने हेतु रवाना कार्यालय सयं‌ुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जैसलमेर की तरफ किया गया, जिस पर श्री कंवराजंिसह कानि0 444 ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान लेकर चौकी हाजा पर उपस्थित आया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देकर बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए गवाहान से परिचय पुछा गया तो उन्होन अपना - अपना परिचय क्रमशः श्री रोहित मीणा पुत्र श्री भंवरलाल मीणा उम्र 23 वर्ष, पेशा सरकारी नौकरी, निवासी क्वार्टर नं जी-86 रिजर्व पुलिस लाईन भीलवाडा हाल पशुधन निरीक्षक कार्यालय पशु चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र अमरसागर जैसलमेर मोबाईल नं. 7665249916 व श्री प्रधान मीणा पुत्र श्री स्वराज मीणा जाति मीणा उम्र 23 वर्ष पैशा सरकारी नौकरी, निवासी क्वार्टर नं एफ-23 रिजर्व पुलिस लाईन भीलवाडा हाल पशुधन निरीक्षक कार्यालय पशु पालन विभाग

जैसलमेर मोबाईल नं. [redacted] के रुप में दिया। तत्पश्चात कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री मुकेश कुमार का उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहो से आपसी परिचय करवाया गया तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी का स्वयं लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया व पढने हेतु दी जाकर तथा आरोपी व परिवादी के मध्य हुई रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है को चालु कर मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य - मुख्य अंष सुनाये गये। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति दी गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री महादान सिंह जाति राजपुरोहित, निवासी 3 एम.डी. बांकलसर पोस्ट मोहनगढ, पुलिस थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर एवं आरोपी श्री खेतसिंह हाल मेट ग्राम पंचायत मोहनगढ जिला जैसलमेर के मध्य दिनांक 20.03.2025 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप, जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल BRINTON 64 GB के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड हैं। कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर कार्यालय के लेपटॉप में जोड़कर उक्त रिकॉर्डिग वार्तालाप को रूबरू दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के सुन-सुन कर एंव समझकर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री भंवरलाल कानि 309 के सहयोग से कार्यालय लेपटॉप से हूबहू फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर संबंधितान के हस्ताक्षर कर शामिल रनिग नोट की गई। परिवादी स्वयं एवं आरोपी के आवाज की पहचान परिवादी श्री मुकेश कुमार द्वारा उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू ताईद की। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल BRINTON 64 GB के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड उक्त रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से भंवरलाल कानि 309 से दो मेमोरीकार्ड तैयार करवाये जाकर उक्त दोनो मेमोरी कार्ड को डब मानते हुए खुली रखी गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल BRINTON 64 GB के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार श्री भंवरलाल कानि 309 द्वारा हैष वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड BRINTON 64 GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर एक कपड़े की थैली में डालकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण विवरण अंकित कर सील्ड मौहर कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क "एम" अंकित किया जाकर उक्त शील्डषुदा पैकेट मय दो डब मेमोरी कार्ड मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया आईन्दा उक्त प्रादर्ष श्री दीनाराम हैड कानि 03 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। चूंकि परिवादी श्री मुकेश की रिपोर्ट अनुसार आरोपी को किसी प्रकाश का शक हो जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही होने के कारण कार्यालय हाजा में इस प्रकरण से संबंधित कोई भी कार्यवाही पेण्डिग नहीं होने से उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री रोहित मीणा व श्री प्रधान मीणा तथा परिवादी श्री मुकेश कुमार को रूकसत दी गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री खेतसिह पुत्र श्री नगसिह जाति राजपुरोहित उम्र 29 साल निवासी 2-एम0डी0 मोहनगढ हाल- मेट ग्राम पंचायत बाकलसर ब्लॉक मोहनगढ तहसील व जिला जैसलमेर द्वारा दिनांक 20.03.2025 को वक्त रुबरु रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी श्री मुकेश कुमार से उनके पिता श्री महादानसिंह व माता श्रीमती धापू देवी के मनरेगा में कार्य के भुगतान के पेटे बकाया 4200 रूपये की मांग करना, जिसमे से परिवादी द्वारा श्री खेतसिंह मेट के बताये अनुसार फोन पे नम्बर [redacted] पर 1000 रूपये ऑनलाईन ट्रांसफर करना, उक्त रिश्वती राशि के अतिरिक्त परिवादी श्री मुकेश कुमार स्वंय एवं उनकी पत्नी गुडडी देवी से मनरेगा में हाजरी ऑनलाईन चढाने तथा उसके पेटे आने वाले मनरेगा भुगतान करीबन 20000/- के पेटे 11000/- और रिश्वत देने की मांग करना इस प्रकार कुल 14,200/- रुपये रिश्वत की मांग करना तथा वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से 1000/- रुपये ऑन लाईन प्राप्त करना अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। अतः श्री खेतसिह पुत्र श्री नगसिह जाति राजपुरोहित उम्र 29 साल निवासी 2 एम0डी0 मोहनगढ हाल- मेट ग्राम पंचायत बाकलसर ब्लॉक मोहनगढ तहसील व जिला जैसलमेर का उक्त कृत्य अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमंकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। भवदीय (नरपत चंद) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत चंद,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जैसलमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री खेतसिह पुत्र श्री नगसिह जाति राजपुरोहित उम्र 29 साल निवासी 2 एम0डी0 मोहनगढ हाल- मेट ग्राम पंचायत बाकलसर ब्लॉक मोहनगढ तहसील व जिला जैसलमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर को मनोनित किया गया

है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 888 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 886–89 दिनांक 17.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति मोहनगढ जिला जैसलमेर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDER KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/06/2025 14:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)